Saledeed 3,00,000/- P.S. Simdega Area 50ke Rct 5P

Prepaid E-stamp 12000/-

Adi - 9000=00
CHC - 90=00
Sal - 9=50
P-fee - 0=94
9093=44

23/8/16

शंकर लाल अग्रवाल 22/8/16

[illegible] 1908 की धारा 46 [illegible]
[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम
[illegible] 1899 की अनुसूची
का 1 क [illegible] 23 IA
[illegible]
[illegible]
[illegible] नहीं।

23-8-16 23/8/16

§1§ लेख्यकारी:- श्री शंकर लाल अग्रवाल पिता स्व0 द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जाति- अग्रवाल, पेशा- व्यापार, निवास ग्राम- शंकर क्लोथ स्टोर, एस. बी. आई. रोड सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

...... विक्रेता ।

आधार कार्ड संख्या- 6685 4032 3058

शपथ-पत्र संख्याः- 392/2016

[illegible] मिलान किया [illegible] N. Res का [illegible] K.P. Verma 23/08/16

Md. Nasibullah Khan
S/o. Late. Sabiullah Khan
Vill: Kharan Toli Main Road. Simdega
PS+PO. Simdega
29/8/16

[illegible] 23-8-16

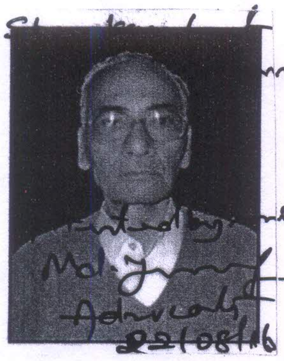

शंकरलाल अग्रवाल

24/8/16

23/8/16

23-8-16 10 to1

[illegible] का [illegible]

[illegible] के अनुसार [illegible]

[illegible] में [illegible] या [illegible]

[illegible] मुख्तार की सम

[illegible] संख्या

[illegible] के [illegible]

[illegible] प्रमाणीकृत है।

शंकरलाल अग्रवाल

पिता / पति स्व० द्वारिका प्रसाद अग्रवाल

व्यवसाय/निवासी: एस० पी० ऑफिस [illegible] सिमडेगा

अग्रवाल

व्यापार

23-8-16

23/8/16

जिला अवर निबंधक सिमडेगा

जिला-सिमडेगा (झारखण्ड)

§2§ लेख्यधारी:- अशोक कुमार साहा पिता अरूण कुमार साहा जाति- सूडी बनिया, पेशा- व्यापार, निवास ग्राम- नीचे बाजार सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

आधार कार्ड संख्या- 5082 9934 2351

शपथ-पत्र संख्या:- 393/2016

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वेला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग तीन लाख रूपये अंके 3,00,000/- रूपये होता है ।

शंकर लाल बड़ाईक
22/08/16

§5§ सम्पत्ति- एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा, थाना-सिमडेगा, थाना नं0 117, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 26 §छब्बीस§ प्लॉट नं0 877 §आठ सौ सतहत्तर§ कुल रकबा 3.46 एकड़ में से 0.05 एकड़ §पाँच डिसमिल§ मालगुजारी 05 पैसा §पाँच पैसा§ अलावे सेस सालाना ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश नोज,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश नोज,

पूरब:- इसी प्लॉट का अंश नोज,

पश्चिम:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया कच्चा रास्ता 12 फुट,

वर्णित बिक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जो वार्ड नं0 14 में अन्य सड़क पर अवस्थित है । जिसका पुराना वार्ड संख्या 01 है ।

SHASHI GURIA
LATE- THOMAS GURIA
VILL- SALDEGA SIMDEGA
DIST- SIMDEGA
DATE- 22.08.2016

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को व्यापार बढ़ाने एवं मकान बनाने तथा घरेलू खर्च के वास्ते रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने जमीन खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ मो0 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) चेक नं0 005482 के द्वारा पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक, दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन मेरे दखल कब्जे की जमीन है उपरोक्त जमीन को मेरे पिता द्वारिका प्रसाद ने एस.ए.आर. वाद संख्या 122/70 आदेश दिनांक 5.2.1973 के द्वारा प्राप्त किया है । मेरे पिता का देहान्त हो गया है । दाखिल खारिज वाद संख्या 318आर. 27/88-89 के द्वारा दाखिल खारिज होकर मेरे नीज नाम से मालगुजारी रसीद कटता है जो पंजी II के भोल्युम नं0 I, पृष्ट संख्या 129 में दर्ज है । बिक्रीत जमीन मेरे नीज हिस्से की जमीन है जिसमें किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या मर मुकदमा तथा वारदेन नहीं है ।

(4) अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(5) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं, शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं विक्रेता अग्रवाल जाति का हूँ । सरकार के विशेष सचिव झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 591 दिनांक 1.3.2012 ई0 तथा पत्रांक 7/ हॉल्डिंग हस्तान्तरण नीति 20/2009 दिनांक 19.6.2012 द्वारा दिये सूची में मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खासमहल, भू-दान, सैरात, लोज, आम गैर मजरूआ से सम्बन्धित नहीं है ।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बवत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

शंकर लाल अग्रवाल
२४/५/१६

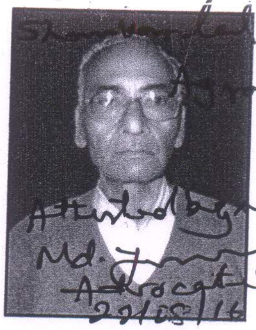

शंकर लाल अग्रवाल
२४/५/१६

प्रमाणित किया जाता है कि शंकर लाल अग्रवाल के बांए हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है

Md. Yusuf
Advocate
24/06/16

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Ashok Kumar Saha
22/8/16

प्रमाणित किया जाता है कि अशोक कुमार साहा के बांए हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है

Md. Yusuf
Advocate
22/08/16

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/-

Md. [signature] Advocate 22/08/16

(प्रारूपकर्त्ता)

तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 678 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित है ।

टंकक

मो०महबूब
22.08.2016

मो0 महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

अनुलग्नकः-

1. बिक्रेता, क्रेता एवं पहचानी गवाह का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. एस.ए.आर. वाद संख्या 122/10 के आदेश का छायाप्रति,
3. रजिस्टर II के प्रमाणित कॉपी का छायाप्रति,
4. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
5. खतियान का सत्यापित प्रति,
6. भिलेज मैप का छायाप्रति,
7. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
8. पर्चा नं0 1 का मूल प्रति,